बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल :- [illegible]n-khagaria.bih@nic.in, generalsectionkhagaria@gmail.com
वेबसाईट :- https://khagria.nic.in
दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक 3725/सी0आर0, दिनांक 04.08.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मोरकाही थाना काण्ड सं0-44/20 में वादी मो0 हिमांयू के दादा मो0 ककील अहमद, पे0-स्व0 अहमद सुभान, साकिन-रसौंक, थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया के नाम से निर्गत बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-09/85 को रद्द करने से संबंधित प्रस्ताव अनुसंधानक पु0अ0नि0 द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पु0अ0नि0 मोरकाही थाना जो थानाध्यक्ष मोरकाही थाना द्वारा अग्रसारित है, में प्रतिवेदित है कि काण्ड सं0-44/20 के वादी मो0 हेमायू के दादा, मो0 ककील अहमद, पे0-स्व0 अहमद सुभान, साकिन-रसौंक, थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया काण्ड सं0-46/20 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं। मो0 ककील अहमद के नाम से निर्गत बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-9/85 को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतः थानाध्यक्ष, मोरकाही थाना द्वारा अग्रसारित डी0आर0-339/20, दिनांक 16.07.2020 एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक 3725/सी0आर0, दिनांक 04.08.2020 के आलोक में मो0 कफील अहमद पे0-स्व0 मो0 अहमद सुभाने, साकिन-रसौंक, थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया के नाम से निर्गत बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0-09/1985 (खगड़िया थाना) को आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका को पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर मोरकाही थाना में जमा करना सुनिश्चित करें।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक IV-09/2020 645 /जी0, दिनांक 25.10.20

प्रतिलिपि :- मो0 कफील अहमद, पे0-स्व0 मो0 अहमद सुभाने, साकिन-रसौंक, थाना-मोरकाही, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, मोरकाही थाना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ससमय शस्त्र जमा नहीं करने की स्थिति में शस्त्र जप्त करना सुनिश्चित करेंगें एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को उनके ज्ञापांक 3725/सी0आर0, दिनांक 04.08.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

25/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया